खंड—११ संख्या—१०

बिहार विधान-सभा

(भाग-१—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार, तिथि २५ फरवरी, १९७५

विषय-सूची

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :—		
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :—१६, १७, १८, एवं २० ।	...	१-११
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :—५८०, ५८४, ५८६, ५९२, ५९३, ५९५, ५९६, ६०१, ६०५, ६०६, ६११, ६१४, ६१७, ६२०, ६२३, ६२५, ६२८, ६३०, ६३४, ६३२, ६३७, ६४०, ६४५, ६४६, ६४९, एवं ६५० ।	....	१२-५३
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :—	....	५३-५६
दैनिक-निबंध	....	५७-५८

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है ।

रहने का आदेश दिया है किन्तु अपरिहार्य कारणों से श्री पाटणकर उक्त तिथि को जाँच नहीं कर सके ;

(४) क्या यह सही है कि २५-१-७५ को जांच पदाधिकारी के नहीं आने पर अवसर से लाभ उठाकर श्री त्रिवेणी सिंह ने श्री मिश्र को ३१-१-१९७५ को विद्यालय से कार्य विरमित कर उन अभिलेखों को हस्तगत कर लेने का रास्ता साफ कर लिया है जिसके विरुद्ध श्री मिश्र ने तिथि ३१-१-१९७५ को अभ्यावेदन दिया है ;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो निष्पक्ष जाँच के लिये सरकार ने कौन-सी व्यवस्था की और श्री मिश्र के पत्र तिथि २-१२-७४ तथा ३१-१-७५ पर कौन-सी कार्रवाई की है ?

श्री रामराज प्रसाद सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक हैं।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक हैं।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक हैं।

(४) प्राचार्य ने श्री त्रिपुरारि मिश्र को ३१-१-७५ के अपराह्न से उनके अन्यत्र स्थानान्तरण फलस्वरूप कार्य विरमित कर दिया। पर श्री त्रिपुरारि मिश्र ने जाँच से संबंधित अभिलेखों का प्रभार प्राचार्य को नहीं दिया है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से अनुरोध किया है कि प्राचार्य के विरुद्ध अभिलेखों को ऊँचे स्तर के पदाधिकारी ग्रहण करें।

(५) जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को लिखा जा रहा है कि वे श्री त्रिवेणी सिंह प्राचार्य के विरुद्ध अभिलेखों को अपने जिम्मे ले लें।

वेतन का भुगतान

६४६। **श्रीमती अनुसूया देवी**—क्या संत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(१) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक ३ एम० ३-७३।६८ शि०-१३७२ द्वारा शिक्षा निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), सह-उप सचिव ने व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण की सूचना के सन्दर्भ में विधान सभा सचिवालय को ज्ञापांक १३१ (स) दिनांक २७-६-१९७२ के प्रसंग में विधान सभा एवं श्री जनार्दन यादव, तत्कालीन स० वि० स० को सूचित किया था कि श्री बाके विहारी यादव सहायक शिक्षक विभवा बेसिक स्कूल, जिला-भोजपुर के बकाये वेतन की चुकती के संबंध कार्रवाई की

जा रही है, तथा इस संबंध में की गयी अन्तिम निर्णय की सूचना बाद में दी जायेगी।

(२) क्या यह बात सही है कि अभी तक श्री यादव के वेतन भुगतान के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो अभी तक श्री यादव को वेतन भुगतान नहीं करने का तथा सरकार उन्हें बकाये वेतन का भुगतान एवं इसके लिये दोषी पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

श्री रामराज प्रसाद सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) श्री बांके बिहारी यादव, राजकीय बु० विद्यालय खरैंदा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे परन्तु प्रतिनियोक्ति होकर राजकीय बुनियादी विद्यालय, विमवा में कार्य कर रहे थे जिला शिक्षा पदाधिकारी शाहाबाद द्वारा यह प्रतिनियोजन आदेश पत्रांक ३७४ दिनांक ४-३-६८ के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया। वे उक्त, विद्यालय से दिनांक २३-३-६८ को विरमित भी कर दिये गये थे। परन्तु श्री यादव द्वारा खरैंदा बु० विद्यालय में योगदान नहीं दिया गया और वे कार्य से दिनांक २४-३-६८ से २२-११-७२ तक अनुपस्थित रहे हैं। उनके इस अनियमितता के फलस्वरूप उन्हें विभागीय कार्यवाहीधीन किया गया तथा उक्त कार्यवाही पर अंतिम निर्णय के बाद ही वेतन भुगतान संबंधी कार्रवाई की जायगी।

(३) उपर्युक्त प्रश्न खंडों के उत्तर के बाद वह प्रश्न नहीं उठता है।

प्रवर कोटि का वेतनमान

६४९। श्री कन्हाई सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा बुनियादी विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित आई० ए० एवं प्रशिक्षित मैट्रिक शिक्षकों में से वरीयता के आधार पर पन्द्रह प्रतिशत प्रवर कोटि का वेतनमान तारीख १-१-७१ से स्वीकृत किया गया है ;

(२) क्या यह बात सही है कि तिरहुत प्रमंडल के बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों को वह लाभ दिया गया है किन्तु पटना प्रमंडल के शिक्षकों को इस लाभ से अभी तक वंचित रखा गया है ;